राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास श्री सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 74/2019/दावा/बउनवान/पवन नागर बनाम राज0 सरकार

जीसीएमएस संख्या 2019/00152

पवन नागर पुत्र परमानन्द जाति धाकड निवासी शाहपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

.........वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

..........प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट</u>

वकील वादी : श्री दयाकृष्ण धाकड

दायरा दिनांक: 20.09.2019

निर्णय दिनांक : 21.12.2025

निर्णय

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि वादी ग्राम शाहपुरा तहसील मांगरोल का निवासी है जो कृषि कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है।
2. यह कि वादी के खाते की आराजी खाता संख्या 141 खसरा नं० 1313 रकबा 0.12 हे0, खसरा नं0 1320 रकबा 1.91 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.03 हे० वाके ग्राम शाहपुरा तहसील मांगरोल में स्थित है जो जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है किन्तु जमाबन्दी में सहवन से वादी का नाम पवन के स्थान पर प्रमोद कुमार दर्ज कर दिया है। जबकि वादी का वास्तविक नाम पवन नागर है।
3. यह कि वादी के अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, में भी वादी का नाम पवन ही दर्ज है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 141 में अपना नाम प्रमोद कुमार के स्थान पर पवन दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है।
4. यह कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में पवन के स्थान पर प्रमोद कुमार दर्ज होने से तथा अन्य दस्तावेज में पवन होने से वादी सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है जिसका वादी अधिकारी व नालिसी है व नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी है।
5. यह कि इसकी पुष्टि के लिए कि वादी ने अपना मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रति इस वाद–पत्र के साथ पेश कर रहा है।

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

6. यह कि वादी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम सही करवाने हेतु तहसीलदार साहब मांगरोल के समक्ष प्रार्थना–पत्र भी पेश किया किन्तु उनके द्वारा दावा श्रीमान के समक्ष पेश करने हेतु दिनांक 08.08.2019 को कहने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है।
7. यह कि वादग्रस्त आराजी ग्राम शाहपुरा तहसील मांगरोल में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।
8. यह कि वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि आराजी खाता संख्या 141 खसरा नं0 1313 रकबा 0.12 हे0, खसरा नं0 1320 रकबा 1.91 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.03 हे0 वाके ग्राम शाहपुरा तहसील मांगरोल के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम प्रमोद कुमार के स्थान पर पवन दर्ज किया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे वादी को दिलाई।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 20.09.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल के पत्र कमांक राजस्व/2025/2108 दिनांक 28.08.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट अनुसार ग्राम छत्रपुरा की खाता सं. 138 ख.नं. 1313 रकबा 0.12 है0, खसरा नं. 1320 रकबा 1.91 है0, प्रमोद कुमार पुत्र परमानन्द नागर जाति धाकड़ के नाम दर्ज रिकार्ड है। पवन शाहपुरा का निवास होना बताया है। ग्रामवासियो से जानकारी लेने पर ग्राम वासियों द्वारा बताया गया कि प्रमोद उर्फ पवन कुमार दोनो एक ही व्यक्ति है। जिसे दोनो ही नामो से बोला व पहचाना जाता है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर आराजी खाता संख्या 141 खसरा नं0 1313 रकबा 0.12 हे0, खसरा नं0 1320 रकबा 1.91 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.03 हे0 वाके ग्राम शाहपुरा तहसील मांगरोल में वादी का नाम प्रमोद कुमार पुत्र परमानन्द के स्थान पर प्रमोद कुमार उर्फ पवन पुत्र परमानन्द दर्ज राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार मांगरोल को दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मजमेआम सुनाया गया।

सौरभ शम्भु (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल